न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

विष्णु प्रसाद महालहा ....निगरानीकर्ता

निगरानी नं 2473-PBR-15

बनाम

हसंकुमार चौधरी ....उत्तरवादीगण

<u>निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959</u>

याचिकाकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है-

उपरोक्त निगरानी न्यायालय श्रीमान अनु0 अधि0 महोदय इटारसी द्वारा राजस्व अपील क्रमांक 83अ-06/12-13 में पारित आदेश दिनांक 31.3.15 से परिवेदित एवं विपरीत प्रभावित होकर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर श्रीमान इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

R 2473 PBR/15 (डोरीवाड)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
5.8.2015	आवेदक की ओर से श्री संदीप दुबे अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 17.7.2013 एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.3.2015 की सत्य प्रतिलिपियों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा अभी सीमांकन के आदेश दिये गये हैं, जहां आवेदक उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष भी उचित है कि अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। [signature] अध्यक्ष [signature]	

शासमुगवा—320—फॉर्म्स—21-9-12—5,000 प्रपत्र.